166

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2133-एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-2-15 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद, जिला कटनी प्रकरण क्रमांक 9/अ-6/2014-15.

राम विशाल बसोर पिता श्री फंदिया बसोर,
निवासी ग्राम नैगंवा तहसील बहोरीबंद,
जिला कटनी म0प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी म.प्र. ----- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ।

अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव

:: आदेश ::

(आज दिनांक 19-8-16 **को पारित)**

यह निगरानी नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद, जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27-2-15 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक रामविशाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम नैगंवा प.ह.नं. 35/97 रा. नि. मं. स्लीमनाबाद तहसील बहोरीबंद जिला कटनी स्थित भूमि पुराना खसरा नंबर 58 रकबा 7.22 हैक्टर जिसका नया खसरा नंबर 105 रकबा 2.68 हैक्टर

एवं पुराना खसरा नंबर 253 रकबा 8.22 एकड़ तथा पुराना खसरा नं. 270 रकबा 2.72 एकड़ उक्त दोनों खसरा नंबरों का वर्तमान खसरा नंबर 271 रकबा 4.02 हैक्टर आवेदकों के पूर्वजों की खानदानी पैत्रिक भूमि है परंतु वर्तमान में भूमि पर त्रुटिवश ग्राम नौकर की प्रविष्टि हो गई है, जिसे दुरस्त किया जाये । नायब तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर प्र0 क्रं0 9/अ-6(अ)/2014-15 दर्ज कर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया एवं पटवारी हल्का से प्रतिवेदन चाहा गया तथा आवेदक के कथन लिये गये । तदुपरांत नायब तहसीलदार ने यह तो माना कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1962-63 तक भूमिस्वामी हक में दर्ज चली आ रही है । वर्ष 54-55 के अधिकार अभिलेख में भी भूमि भूमिस्वामी दर्ज है वर्ष 1960-61 में खितैया पिता रामलाल की फौती दर्ज होकर फदिया पिता कौराई के नाम पर दर्ज है । वर्ष 1989 तक फदिया पिता कौराई भूमिस्वामी ग्राम नौकर के नाम दर्ज है । फदिया की मृत्यु होने से रामविशाल पिता फदिया ग्राम नौकर के नाम से दर्ज है । वर्ष 2011-12 से वर्तमान अभिलेख के खसरा में म0प्र0 शासन ग्राम नौकर दर्ज है । भूमि किस आदेश से ग्राम नोकर दर्ज हो गई स्पष्ट नहीं है । परंतु वर्तमान में भूमि म0प्र0 शासन ग्राम नोकर दर्ज हाने के कारण यह मानते हुए कि उन्हें भूमिस्वामी हक पर दर्ज करने का अधिकार नहीं है, आवेदक का आवेदन निरस्त किया । नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि मिसल बंदोवस्त खसरा वर्ष 1908-09 में रामलाल पिता भिखारी के नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज थी, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र खिलईया के नाम भूमिस्वामी हक पर दर्ज हुई जैसाकि खसरा पांचसाला अधिकार अभिलेख 1954-55 से स्पष्ट है । खिलईया की मृत्यु के उपरांत यह भूमि खिलईया के दामाद फंदिया पिता कोराई के नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज हुई क्योंकि खिलईया की एक मात्र लड़की संतान थी जिसकी मृत्यु पूर्व में हो गई थी । फंदिया की मृत्यु के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि उनके पुत्र आवेदक रामविशाल के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान में भी दर्ज चली आ रही है ।

यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि निजी भूमिस्वामी स्वत्व की है । ग्राम नौकर के नाम की भूमि नहीं है । वर्ष 2014 में आवेदक द्वारा किसान केडिट कार्ट बनवाने के लिए खसरा निकलवाया तब ज्ञात हुआ कि भूमि

पर ग्राम नौकर लिखा है । तब आवेदक ने पटवारी से संपर्क किया और खसरा निकलवाया तब आवेदक को ज्ञात हुआ कि बिना किसी आदेश के आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि पर ग्राम नौकर लिख दिया गया है । आवेदक के पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे आवेदक भी पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए उन्हें यह जानकारी नहीं हुई कि कैसे उनके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि पर ग्राम नौकर की गलत प्रविष्टि कर दी गई है । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं है और ना ही कोटवारी में प्राप्त भूमि है । उक्त भूमि पर त्रुटिवश ग्राम कोटवार अंकित किया गया है । राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटि के सुधार का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानने के उपरांत भी कि प्रश्नाधीन भूमि निजी भूमिस्वामी स्वत्व की है और उस पर ग्राम नौकर की प्रविष्टि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई है, प्रविष्टि को सुधारने का आदेश न देते हुए आवेदन निरस्त कर न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि काफी समय पूर्व से ग्राम नौकर के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । आवेदक द्वारा खसरे में म0 प्र0 शासन ग्राम नौकर की प्रविष्टि वर्ष 2011–12 में होना कहा गया है जबकि उसके सुधार का आवेदन वर्ष 2015 में दिया गया है, जो अवधि बाह्य है क्योंकि संहिता की धारा 116 के तहत आवेदन एक वर्ष में दिया जाना चाहिए था । अतः नायब तहसीलदार ने आवेदक के आवेदन को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

5/ जबाव में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि ग्राम नौकर की प्रविष्टि बिना किसी आदेश के की गई है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में परिसीमा की बाधा नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998 आर0एन0 296 का हवाला दिया गया है, इस न्यायदृष्टांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रविष्टियां निराधार और फर्जी हों तो उन्हें किसी भी समय सही किया जा सकता है परिसीमा का प्रावधान किसी तरह बाधक नहीं है । यह भी कहा गया कि इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1961–62 तक भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है उसके बाद मनमाने तरीके से एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेशों के भूमि का मद परिवर्तन किया जाता रहा है । कभी भूमि पर ग्राम नौकर भूमिस्वामी की प्रविष्टि की गई, कभी भूमिस्वामी शब्द काटकर ग्राम नौकर लिख दिया गया बाद में फिर भूमिस्वामी ग्राम नौकर हो गया और अंत में भूमिस्वामी को अलग कर म0प्र0 शासन ग्राम नौकर सेवा भूमि अंकित किया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अशुद्धि प्रतिवर्ष दोहराई गई है अतः इस प्रकरण में

परिसीमा की गणना जानकारी के दिनांक से की जायेगी नाकि नई प्रविष्टि से अवधि की गणना की जायेगी । जानकारी के दिनांक से आवेदक का आवेदन अवधि में है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1963 आर0एन0 16, 1986 आर0एन0 233 बलदेव विरूद्ध बुधआ एवं 1983 आर0एन0 57 (उच्च न्यायालय) एवं 1998 आर0एन0 206 का उल्लेख किया गया है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का, पटवारी प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेजों (खसरा खतौनी आदि) का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । प्रकरण के साथ संलग्न राजस्व अभिलेखों (खसरा आदि) एवं पटवारी प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुराना खसरा नंबर 253, 270 नया नंबर 271 एवं पुराना खसरा नंबर 58 जिसका नया नंबर 105 है को तहसीलदार, सिहोरा के प्रकरण क्रमांक 36/अ-6/56-57 में पारित आदेश दिनांक 24-7-1957 के द्वारा आवेदक के पूर्वज खिलैया पिता रामलाल के नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया था और यह प्रविष्टि वर्ष 1962-63 तक रही । वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में भी प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है । वर्ष 1960-61 में खिलैया पिता रामलाल की फौती दर्ज होने से फंदिया पिता कौराई का नाम दर्ज किया गया । इसके उपरांत वर्ष 91-92 से 98-99 तक फंदिया की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रामविशाल (आवेदक) के नाम के साथ ग्राम नौकर दर्ज है यह प्रविष्टि 2010-11 तक रही और इसके बाद वर्ष 2011-12 में 4 लाइन के सर्वे के समय ग्राम नौकर की जगह म0प्र0 शासन सेवा भूमि दर्ज हो गई । भूमिस्वामी से ग्राम नौकर किसके आदेश से खसरे में अंकित किया गया इसका कोई उल्लेख किसी भी वर्ष के खसरे में नहीं है और ना ही म0प्र0 शासन के नाम की प्रविष्टि किसके आदेश से की गई इसका कोई उल्लेख खसरों में है । इससे यह स्पष्ट है कि भूमिस्वामी से ग्राम नौकर की प्रविष्टि और बाद में भूमि पर म0प्र0 शासन सेवा भूमि की प्रविष्टि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश में उक्त त्रुटि होने का उल्लेख किया गया है । ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटि को सुधारने का अधिकार संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत तहसीलदार को है । प्रविष्टि के संबंध में विवाद होने पर संहिता की धारा-115 एवं 116 के अंतर्गत आदेश पारित किया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकती । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 59 अवलोकनीय है । इस प्रकरण

में यह भी स्पष्ट है कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेशों के राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के स्थान पर अशुद्ध प्रविष्टि प्रतिवर्ष दोहराई जाती रही है । इस कारण इस प्रकरण में परिसीमा की अवधि प्रविष्टि की जानकारी से प्रारंभ होगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत 1963 आर0एन0 16, 1986 आर0एन0 233 बलदेव विरूद्ध बुधआ एवं 1983 आर0एन0 57 (उच्च न्यायालय) एवं 1998 आर0एन0 206 अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1986 आर0एन0 233 बलदेव विरूद्ध बुधआ एवं 1983 आर0एन0 57 (उच्च न्यायालय) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह अशुद्धि प्रतिवर्ष पुनः की जाती है तब प्रत्येक नई प्रविष्टि से नई अवधि की गणना नहीं होगी । परिसीमा की अवधि प्रविष्टि की जानकारी के दिनांक से प्रारंभ होगी । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब किसी विधि से किसी भू-अभिलेख में कोई प्रविष्टि की जाना अनुदेशित हो तब वह सरकारी अभिलेख होने के कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अनुसार ग्राह्य होगी परंतु किसी बात की प्रविष्टि करने का अनुरोध नियमों में न हो और कर दी गई हो तब उस बात के बारे में प्रविष्टि साक्ष्य में अग्राह्य होगी । उपरोक्त न्यायदृष्टांतों एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनावेदक शासन की ओर से अवधि के संबंध में दिया गया तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

7/ यहां यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि यदि पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के कोई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि कर दी जाती है तो तहसीलदार द्वारा अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके धारा 115 के तहत सुधार किया जा सकता है । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख करना कि वर्तमान अभिलेख में भूमिस्वामी हक पर दर्ज करने का अधिकार उन्हें नहीं है, सही नहीं है क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पूर्व से आवेदक के पूर्वजों के नाम भूमिस्वामी हक पर दर्ज चली आ रही है । आवेदक की भूमि पर यदि भूमिस्वामी के कॉलम में किन आधारों पर लेखन संबंधी गलती की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में नहीं दिया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-2-2015 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार, बहोरीबंद को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे राजस्व अभिलेखों में

प्रश्नाधीन भूमियों पर की गई म0प्र0 शासन ग्राम नौकर की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को राजस्व अभिलेखों से विलोपित कर आवेदक रामविशाल का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख दुरस्त किए जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर